

कार्यालय: निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।
संख्या:जे०टी०आर०आई०/अधि०-440/17-1720 दिनांक 13 नवम्बर, 2017

कार्यालय विज्ञापित

शासनादेश संख्या:43/2017/सा०-780/सात-न्याय-1-2017-1(प्र)/2017, दिनांक 09 जून, 2017 द्वारा 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ में न्यायिक सुधार हेतु आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संविदा पर अस्थायी रूप से सृजित निम्न पदों के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	संविदा पर रखे जाने हेतु स्वीकृत पदों की संख्या	मासिक परिलब्धियों	भर्ती का स्रोत/शैक्षिक अर्हता
1.	अपर निदेशक	02	75000/-	सेवानिवृत्त उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों से
2.	मेडिकल आफीसर	02	50000/-	न्यूनतम योग्यता एम.बी.बी.एस.

उक्त पदों पर नियुक्ति शासनादेश संख्या:43/2017/सा०-780/ सात-न्याय-1- 2017-1(प्र)/2017, दिनांक 09 जून, 2017 की शर्तों के अधीन होगी।

उक्त नियत वेतन में नियुक्ति संविदा पर अस्थायी रूप से की जायेगी तथा चयनित व्यक्तियों को किसी प्रकार का भत्ता एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य नहीं होगी।

उक्त पद एक निर्धारित अवधि के लिये हैं और किसी भी दशा में इनकी अवधि शासन द्वारा दिनांक 29.02.2020 के बाद नहीं बढ़ायी जायेंगी।

उक्त पद पूर्णतः अस्थायी हैं और किसी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं।

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 तक सादे कागज पर पूर्ण बायोडाटा, पता तथा सम्पर्क नम्बर देते हुए निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त पदों पर चयन मा० उच्च न्यायालय के मा० न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार पर आधारित संस्तुति सूची से होगा।

अधिक जानकारी के लिए संस्थान के अपर निदेशक से मोबाइल संख्या: 9415114093 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

Anil Kumar
(अनिल कुमार ओझा)
निदेशक